

DRAFT DECLARATION

The National Convention of Workers 9th January 2026

HKS Surjeet Bhawan, New Delhi - 110002

We, the Joint Platform of Ten Central Trade Unions, independent Sectoral Federations and Associations are meeting today in Delhi to deliberate on the ever worsening situation in the country on all fronts. This convention is taking place in a very critical situation, when the union government, in order to contain and weaken the trade unions and place the Indian Working Class Movement disarmed in face of the onslaught of capital, have come out with the four labour codes. Indian Workers observed 5 massive general strike during the period since the labour codes were brought and passed in the Parliament with brute force.

This has come in a background of a worrisome situation of deteriorating economy, growing unemployment, increased attack on the democratic rights of people, venomous campaigns of polarisation and hatred against the minorities, attack on all democratic institutions and filling them with blind supporters of the ruling party with dubious agenda of obliterating the rights of freedom of association, expression and dissent.

The government continues its agenda of privatisation and sale of all strategic Public Sector Undertakings and Public services such as railway, port and docks, coal mines, oil, steel, defence, roadways, airports, banks, insurance, telecom, postal, Atomic energy, electricity generation and supply etc. to the big corporates of Indian and foreign origin thus endangering indigenous industrial growth and self-reliant economy. Our demands of filling sixty five lakhs vacant posts, stopping of regular workers to private companies, lifting ban on creation of new posts etc. were totally ignored. The government is continuously pursuing the policies against farmers under different guise since after the agitating farmers forced the government to withdraw three agricultural laws which were brought to corporatise the agriculture and grab land to the advantage of the chosen few corporate houses. Still now the agrarian sector continues to be in crises resulting in distress migration to cities in search of livelihood.

Extreme corruption is coming to fore at the cost of basic services to the common people. The basic services are collapsing and people are dying with contaminated drinking water.

The commercialisation of education and health are severe jolt to the people as they can not afford the cost. The prices of essential commodities are rising unabated.

With inequalities growing, a very large number of people are getting pushed to a life below poverty line.

The trade unions have been continuously on path of agitation against the anti-worker, anti-farmer and anti-national policies of the Ruling regime in Centre. But the Union government in order to contain and weaken the unions, came out with four labour codes without any legitimate exercise of consultations with stake holders or holding Indian labour conference. The unions or-

ganised 5 major strikes during the period since the labour codes were brought to the Parliament ignoring International Labour Standards to which India as a Nation state is signatory.

The last general strike by the CTUs and Federations/Associations was organised on 9th July 2025 with participation of around 25 crore people. This was a grand General Strike with solidarity support from Samyukt Kisan Morcha in mass mobilisation in rural India also. The students, youth, women, people from other social movements and also journalists supported and participated in mobilisation. The issues of that strike included those of the workers, farmers and in general of common people. 26th November 2025 was also observed as a day of mobilisation by the workers and farmers on their demands.

The Central Government instead of responding to legitimate demands of the people, has increased its assault on all sections in the advantage of its cronies in the Corporate World. Rather the government is busy giving concessions and leverage to the foreign companies to the disadvantage of small businesses and trade, MSMEs which provide major chunk of employment. After Trump's increased Tariff announcements, the government has been surrendering India's Interest in the foreign trade.

The Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations / Associations had met on 22nd December 2025. The meeting expressed deep anguish over the blatant attacks of the Central Government inside and outside Parliament during this intervening period post our General Strike of 9th July 2025.

The Government came out with Draft Labour Policy-Shram Shakti Niti-2025 on October 8th and placed it in the public domain for comments. Once again without talking to Stakeholders, the policy brought to push for implementation of the four labour codes and with clear direction of decimating the role of trade unions, the work/labour termed as dharma and not a right, changing/abdicating role of the Govt. from regulator and compliance/enforcement of laws to a vague, deceptive and undefined role of so called employment facilitator and besides undermining rather negating collective bargaining, abandoning of tripartism in the world of labour with proposed national body for review, usurping the role of state governments for concentration of power in the centre and riddance of inspections and compliances etc. In defiance of fundamental Constitutional values of liberty, equality, fraternity, fundamental rights and directive principles of state policy, the draft policy claims to have drawn inspiration from the archaic Manusmriti, Yagnavalkya smriti, Narada smriti, Arthashastra, Sukraniti, Shulkyaya Nayaya and so on. The unions under the joint platform of CTUs and Independent Sectoral Federations and Associations outrightly rejected it. The Labour Codes have been notified on 21st November, and the Government is trying to utilise all of its institutional machinery, media, and public sector managements to build a positive consensus around these Codes. Now the government has notified Rules for these codes, put these in public domain for comments/ suggestions. But the workers are determined to fight against the unilateral imposition by the Government and get the Codes repealed. We once again demand immediate convening of Indian Labour Conference (ILC) to discuss Draft Labour Policy, repeal of four labour codes and fresh discussions of labour reforms. The notified labour codes and the draft Rules are to crush the collective bargaining to take away the right to strike, almost 70 percent factories will be out of labour law coverage, regulation and employers' obligations to leave workers at the mercy of employers, throw out vast majority of workers from the

protection of occupational safety and also from social security, would virtually demolish the existing rights and wage protections through conciliation/adjudication procedures; wage definition itself is proposed for change, trade union act is proposed to be changed to make unionisation cumbersome/impossible towards arbitrary deregistration and de-recognition, vindictive punitive actions against collective trade union activities and license to employers to violate their statutory obligations at their whims. In totality the Labour Codes are articulately designed by the Govt. to impose conditions of slavery on the workers and their trade unions, to facilitate their corporate masters to continue their loot on the workers, people and the country. In contrary to the demands of CTUs to include construction workers, beedi workers, home-based workers, domestic workers etc. into ESIC and other social security coverage, the codes are throwing out the workers from their achieved rights due to threshold raise and no legal guarantee.

The Parliamentary process has been turned into mockery; the government gets the bills passed with their brute majority without necessary discussions from the opposition benches. The democracy is being stifled. Election Act, 2023 is a blatant example of “legally” doing away with free and fair elections in India.

In the last parliamentary session the Bills passed include the following.

- The “Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act”, which will allow private and foreign players to enter highly risky and hazardous nuclear power production with a motive of profit; it has withdrawn the liability of foreign and national suppliers of instruments in case of accidents/disasters – certainly, it is an attack on the nuclear security and sovereignty of our country.
- The Mahatma Gandhi NREG Act has been replaced by the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025. This new Act replaces the rights-based rural employment guarantee, when the people are reeling under extreme joblessness, by discretion of the central authority and shifts the fiscal burden onto the States. It bans the operation of the Act during harvesting season.
- 100% FDI has been allowed in the Insurance Sector, practically giving foreign players the right to take over domestic insurance companies.
- The Central Government has placed the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025, in both Houses of Parliament, though it could not be passed in this session.
- The Government has floated the Draft Seed Bill and the Draft Electricity (Amendment) Bill, 2025. These Bills, if placed and passed, will create a disastrous impact on agriculture, domestic and MSME electricity consumers, and the public electricity sector of our country.
- The Central Trade Unions took serious note of the current environmental crisis in the northern part of India, unbearable pollution in Delhi-NCR, and the dangerous Supreme Court order allowing the destruction of almost 90% of the Aravalli Hills, which have remained the protector of northern India from the expansion of the Thar Desert. The Supreme Court in the face of stiff opposition from all sections of society took suo motto the matter, taking back the earlier order and set up a committee for examination of the matter afresh.

The meeting of Central Trade Union had decided to give a strong message to the Ruling regime in the Central Government by observing a “One Day Strike” on 12th February 2026 which we are formally ratifying today in the National Convention of Workers.

If the Government still tries to pursue the Rules under the Codes and does not repeal the Codes, the Central Trade Unions will be compelled to go for further strong actions, including a multiple-day General Strike, besides sectoral resistance actions.

The CTUs acknowledge and salute Samyukta Kisan Morcha (SKM) for their unconditional support to the General Strike.

The National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers (NCCOEEE) has also announced to hold its Sectoral National Strike on the same day with full strength and conviction.

Joint meetings and conventions with electricity employees and consumers will be held in the months of January and February 2026.

The SKM has decided to observe the Resistance Day on 16th January 2026 at villages and block levels against the Seed Bill 2025, Draft Electricity (Amendment) Bill 2025, VB-GRAMG Act, 2025, and in support of other demands. The CTUs will take part in this action with full strength.

CTUs call upon the entire working class and other sections of the toiling masses to gear up for the ensuing General Strike, start campaigning widely, and prepare their organisations for a heightened struggle.

While welcoming the protest action organised by the INDIA BLOC Parties in the premises of Parliament opposing the Labour Codes, we call upon them and various other sections of the people, especially the youth and students, to come forward in support and solidarity with this Strike to save the basic rights of the working people and protect the democratic – secular fabric of the country.

***Onward to National General Strike on 12th February 2026.**

***Observe Resistance Day on 16th January at Village and Block level against the Seed Bill 2025, Electricity (Amendment) Bill 2025, VB-GRAMG Act, 2025, and in support of other demands.**

**The joint Platform of the Central Trade Unions
And Sectoral Federations/Associations**

INTUC	AITUC	HMS	CITU	AIUTUC
TUCC	SEWA	AICCTU	LPF	UTUC

राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन

9 जनवरी 2026

एचकेएस सुरजीत भवन, नई दिल्ली – 110002

हम, दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र सेक्टरल फेडरेशनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच, देश में सभी मोर्चों पर लगातार बिगड़ती स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए आज दिल्ली में मिल रहे हैं। यह सम्मेलन एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हो रहा है, जब केंद्र सरकार ने ट्रेड यूनियनों को नियंत्रित करने और कमजोर करने और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन को पूंजी के हमले के सामने निहत्था करने के लिए चार श्रम संहिताएं लाई हैं। भारतीय श्रमिकों ने श्रम संहिताओं को संसद में जबरदस्ती लाने और पारित करने के बाद से इस अवधि के दौरान 5 बड़ी आम हड़तालें कीं।

यह बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धुवीकरण और नफरत के जहरीले अभियानों, सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले और उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के अंधे समर्थकों से भरने की चिंताजनक स्थिति की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका संदिग्ध एजेंडा यूनियन बनाने, अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता के अधिकारों को खत्म करना है।

सरकार सभी रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला खदानों, तेल, इस्पात, रक्षा, रोडवेज, हवाई अड्डों, बैंकों, बीमा, टेलीकॉम, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति आदि को भारतीय और विदेशी मूल के बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचने का अपना एजेंडा जारी रखे हुए है, जिससे स्वदेशी औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ रही है। साठ लाख खाली पदों को भरने, नियमित श्रमिकों को निजी कंपनियों में भेजने पर रोक लगाने, नए पद सृजित करने पर प्रतिबंध हटाने आदि की हमारी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जब से आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिन्हें कृषि का कॉर्पोरेटीकरण करने और कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए जमीन हड़पने के लिए लाया गया था, सरकार किसानों के खिलाफ अलग-अलग रूपों में नीतियां अपना रही है। अभी भी कृषि क्षेत्र संकट में है, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा है।

आम लोगों को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं की कीमत पर अत्यधिक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। बुनियादी सेवाएं चरमरा रही हैं और लोग दूषित पेयजल से मर रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यावसायीकरण लोगों के लिए एक गंभीर झटका है क्योंकि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

असमानता बढ़ने के साथ, बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन केंद्र में सत्ताधारी सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यूनियन को रोकने और कमजोर करने के लिए, केंद्र सरकार ने स्टैकहोल्डर्स से बिना किसी सही सलाह-मशविरे या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस किए बिना चार लेबर कोड पेश कर दिए। जब से ये लेबर

कोड संसद में लाए गए हैं, तब से यूनियनों ने इस दौरान 5 बड़ी हड़तालें की हैं, जबकि भारत एक राष्ट्र के तौर पर जिन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का सिग्नेटरी है, उन्हें नजरअंदाज किया गया।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा पिछली आम हड़ताल 9 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। यह एक बड़ी आम हड़ताल थी जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिला और ग्रामीण भारत में भी बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाया गया। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, अन्य सामाजिक आंदोलनों के लोगों और पत्रकारों ने भी इस लामबंदी में समर्थन दिया और हिस्सा लिया। उस हड़ताल के मुद्दों में मजदूरों, किसानों और आम लोगों के मुद्दे शामिल थे। 26 नवंबर 2025 को भी मजदूरों और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लामबंदी के दिन के रूप में मनाया।

केंद्र सरकार ने लोगों की जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय, कॉर्पोरेट जगत में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी वर्गों पर हमले बढ़ा दिए हैं। बल्कि सरकार छोटे व्यवसायों और व्यापार, एमएसएमई (MSME), जो रोजगार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, के नुकसान पर विदेशी कंपनियों को रियायतें और फायदा देने में व्यस्त है। ट्रंप की बढ़ी हुई टैरिफ घोषणाओं के बाद, सरकार विदेशी व्यापार में भारत के हितों को सरेंडर कर रही है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टरल फेडरेशन/एसोसिएशन के संयुक्त मंच की बैठक 22 दिसंबर 2025 को हुई थी। बैठक में 9 जुलाई 2025 की हमारी आम हड़ताल के बाद इस बीच की अवधि में संसद के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के खुले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

सरकार ने 8 अक्टूबर को ड्राफ्ट श्रम नीति-श्रम शक्ति नीति-2025 जारी की और इसे टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा। एक बार फिर हितधारकों से बात किए बिना, यह नीति चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए लाई गई है और ट्रेड यूनियनों की भूमिका को खत्म करने, काम/श्रम को धर्म कहकर और अधिकार नहीं मानते हुए, सरकार की भूमिका को बदलने/त्यागने के स्पष्ट निर्देश के साथ लाई गई है। रेगुलेटर और कानूनों के पालन/प्रवर्तन से लेकर तथाकथित रोजगार सुविधा देने वाले की अस्पष्ट, धोखे वाली और अपरिभाषित भूमिका तक, और सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करने, बल्कि खत्म करने, प्रस्तावित राष्ट्रीय निकाय के साथ श्रम जगत में त्रिपक्षीयता को छोड़ने, केंद्र में शक्ति के केंद्रीकरण के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को हड़पने और निरीक्षण और अनुपालन आदि से छुटकारा पाने तक यह पूर्णतया श्रमिक विरुद्ध कार्य है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों जैसे मौलिक संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए, मसौदा नीति का दावा है कि इसने प्राचीन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, शुल्क न्याय आदि से प्रेरणा ली है। केंद्रीय यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनों और संगठनों के संयुक्त मंच के तहत यूनियनों ने इसे सिर से खारिज कर दिया। श्रम संहिताएं 21 नवंबर को अधिसूचित की गई हैं, और सरकार इन संहिताओं के बारे में एक सकारात्मक सहमति बनाने के लिए अपनी सभी संस्थागत मशीनरी, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने इन संहिताओं के लिए नियम अधिसूचित किए हैं, और इन्हें टिप्पणियों/सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा है। लेकिन श्रमिक, सरकार द्वारा एकतरफा थोपे जाने के खिलाफ लड़ने और संहिताओं को रद्द करवाने के लिए दृढ़ हैं। हम एक बार फिर मसौदा श्रम नीति पर चर्चा करने, चार श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रम सुधारों पर नई चर्चा के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को तुरंत बुलाने की मांग करते हैं। अधिसूचित श्रम संहिताएं और मसौदा नियम सामूहिक सौदेबाजी को कुचलने, हड़ताल के अधिकार को छीनने, लगभग 70 प्रतिशत कारखानों को श्रम कानून कवरेज, विनियमन और नियोक्ताओं के दायित्वों से बाहर करने, श्रमिकों को नियोक्ताओं की दया पर

छोड़ने, श्रमिकों के विशाल बहुमत को व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से बाहर करने के लिए हैं, ये सुलह/निर्णय प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा अधिकारों और वेतन सुरक्षा को वस्तुतः खत्म कर देंगे। वेतन की परिभाषा में ही बदलाव का प्रस्ताव है, ट्रेड यूनियन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव है ताकि यूनियन बनाने को बोझिल/असंभव बनाया जा सके, मनमाने ढंग से पंजीकरण रद्द करने और मान्यता रद्द करने, सामूहिक ट्रेड यूनियन गतिविधियों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक दंडात्मक कार्रवाई और नियोक्ताओं को अपनी मर्जी से अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करने का लाइसेंस दिया जा सके। कुल मिलाकर, श्रम संहिताएं सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके ट्रेड यूनियनों पर गुलामी की शर्तें थोपने, उनके कॉर्पोरेट मालिकों को श्रमिकों, लोगों और देश पर अपनी लूट जारी रखने की सुविधा देने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन की गई हैं। सीटीयू की इस मांग के उलट कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीड़ी वर्कर्स, घर पर काम करने वाले वर्कर्स, घरेलू कामगारों वगैरह को ईएसआईसी और दूसरे सोशल सिक्योरिटी कवरेज में शामिल किया जाए, ये कोड थ्रेशहोल्ड बढ़ने और कानूनी गारंटी न होने की वजह से वर्कर्स को उनके मिले हुए अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

संसदीय प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है, सरकार विपक्ष की बेंचों से जरूरी चर्चा के बिना अपनी भारी बहुमत से बिल पास करवा लेती है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। चुनाव अधिनियम, 2023 भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को "कानूनी" रूप से खत्म करने का एक खुला उदाहरण है।

पिछले संसदीय सत्र में पास किए गए बिलों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- ★ "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) अधिनियम", जो निजी और विदेशी कंपनियों को मुनाफे के मकसद से अत्यधिक जोखिम भरे और खतरनाक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश करने की अनुमति देगा, इसने दुर्घटनाओं/आपदाओं की स्थिति में उपकरणों के विदेशी और राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही खत्म कर दी है – निश्चित रूप से, यह हमारे देश की परमाणु सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है।
- ★ महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 से बदल दिया गया है। यह नया अधिनियम, जब लोग अत्यधिक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार गारंटी को केंद्रीय प्राधिकरण के विवेक से बदल देता है और वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल देता है। यह कटाई के मौसम के दौरान अधिनियम के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।
- ★ बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे व्यावहारिक रूप से विदेशी कंपनियों को घरेलू बीमा कंपनियों पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया है।
- ★ केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संसद के दोनों सदनों में पेश किया है, हालांकि यह इस सत्र में पास नहीं हो सका।
- ★ सरकार ने मसौदा बीज विधेयक और मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है। यदि ये विधेयक पेश और पास हो जाते हैं, तो इनका कृषि, घरेलू और एमएसएमई बिजली उपभोक्ताओं और हमारे देश के सार्वजनिक बिजली क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
- ★ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उत्तरी भारत में मौजूदा पर्यावरणीय संकट, दिल्ली-एनसीआर में असहनीय प्रदूषण और खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गंभीर संज्ञान लिया, जिसने अरावली पहाड़ियों के लगभग 90% हिस्से को नष्ट करने की अनुमति दी थी, जो उत्तरी भारत को थार रेगिस्तान के विस्तार से बचाती रही हैं। समाज

के सभी वर्गों के कड़े विरोध का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, पहले के आदेश को वापस ले लिया और मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

सेंट्रल ट्रेड यूनियन की मीटिंग में 12 फरवरी 2026 को "एक दिन की हड़ताल" करके केंद्र सरकार के मौजूदा शासन को एक कड़ा संदेश देने का फैसला किया गया था, जिसे हम आज वर्कर्स के नेशनल कन्वेंशन में औपचारिक रूप से मंजूरी दे रहे हैं।

अगर सरकार फिर भी कोड्स के तहत नियमों को लागू करने की कोशिश करती है और कोड्स को रद्द नहीं करती है, तो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें कई दिनों की आम हड़ताल के साथ-साथ सेक्टर-वार विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, आम हड़ताल को बिना शर्त समर्थन देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) ने भी उसी दिन पूरी ताकत और विश्वास के साथ अपनी सेक्टर-वार नेशनल हड़ताल करने की घोषणा की है।

जनवरी और फरवरी 2026 के महीनों में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त बैठकें और कन्वेंशन आयोजित किए जाएंगे।

एसकेएम ने बीज विधेयक 2025, मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक 2025, वीबी-जीआरएजीएम अधिनियम, 2025 के खिलाफ और अन्य मांगों के समर्थन में 16 जनवरी 2026 को गांवों और ब्लॉक स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। सीटीयूज़ (CTUs) इस कार्रवाई में पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे।

सीटीयूज़ (CTUs) पूरे मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य वर्गों से आने वाली आम हड़ताल के लिए तैयार होने, बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करने और अपने संगठनों को एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार करने का आह्वान करते हैं।

संसद परिसर में श्रम कोड्स का विरोध करते हुए इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का स्वागत करते हुए, हम उनसे और लोगों के विभिन्न अन्य वर्गों, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों से, मेहनतकश लोगों के बुनियादी अधिकारों को बचाने और देश के लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए इस हड़ताल के समर्थन और एकजुटता में आगे आने का आह्वान करते हैं।

★ 12 फरवरी 2026 को नेशनल आम हड़ताल की ओर आगे बढ़ें।

★ बीज विधेयक 2025, बिजली (संशोधन) विधेयक 2025, वीबी-जीआरएजीएम अधिनियम, 2025 के खिलाफ और अन्य मांगों के समर्थन में 16 जनवरी को गांव और ब्लॉक स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाएं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों का संयुक्त मंच
इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी,
टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी